



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

# छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

## “मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना”

संपदा प्रबंधन, प्रक्षेत्र - .....

### “प्रथम आओ प्रथम पाओ योजना”

#### आवासीय भवन/फ्लैट, पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र

विज्ञापन अनुसार पंजीयन अवधि ..... से .....

श्री ..... को यह आवेदन पत्र रसीद क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा .....में प्रस्तावित योजना के अंतर्गत ..... भवन के पंजीयन के लिए ई.डब्ल्यू.एस. हेतु रु. 200.00, एल.आई.जी. हेतु रु. 300.00 एम.आई.जी. हेतु रु. 800.00 एच.आई.जी. हेतु रु. 1000.00 भुगतान प्राप्त कर प्रदान किया जाता है।

संपदा अधिकारी/संपदा प्रबंधक

प्रक्षेत्र/कार्यालय .....

प्रति,

संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,

संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-.....

पंजीयन क्रमांक :- .....

भवन क्रमांक :- .....

महोदय,

मैं स्ववित्तीय/एकमुश्त/ऑफर योजनान्तर्गत ..... में निर्मित/निर्माणाधीन भवन/फ्लैट आबंटन के लिए पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंजीयन स्वीकार करने की कृपा करें। जिसकी विज्ञापित मूल्य रु. .... है।

#### कर्मचारी (आवेदक) के संबंध में विस्तृत विवरण

- कर्मचारी का नाम : .....
- पिता/पति का नाम : .....
- जन्म तिथि : .....आयु.....
- पूर्ण पता : .....
- ई-मेल आईडी : .....
- फोन नम्बर (एस.टी.डी. कोड सहित) : दूरभाष (निवास).....(कार्या.).....  
:मो. नं. ....
- कर्मचारी का बैंक खाता विवरण : बैंक खाता क्र. ....  
:शाखा का नाम.....

फोटो

IFSC/PFC Code

8. कर्मचारी का पद एवं श्रेणी :.....
9. वार्षिक आय व्यक्तिगत.....
10. कर्मचारी के विभाग का नाम :.....
11. पदस्थापना कार्यालय का नाम/पता :.....
12. कार्यालय प्रमुख का नाम/पद :.....
13. कर्मचारी पंजीयन राशि स्वयं जमा कर रहा है अथवा भविष्य निधि से हस्तांतरित की जा रही है। :.....
14. भविष्य निधि में विकर्षण स्वीकृति का संदर्भ (छायाप्रति संलग्न करें) :.....
15. कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति का नाम :.....माता/पिता/पुत्र/पत्नी/पुत्री/अन्य.....  
:उम्र.....संबंध.....  
:पता.....  
:.....

### कर्मचारी द्वारा घोषणा

मेरे द्वारा इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न मण्डल के नियम तथा योजना से संबंधित विवरण/शर्तों कि जानकारी प्राप्त कर ली गई है। लॉटरी द्वारा पंजीयन/भवन आबंटन प्राप्त ना होने पर मेरा/हमारा कोई दावा नहीं होगा। संलग्न नियम शर्तों पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

**आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :-**

1. आय प्रमाण-पत्र।
2. निर्धारित प्रारूप में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र
3. पंजीयन राशि रु.....बैंकर्स चेक/बैंक ड्रॉप्ट/चालान क्रमांक.....  
दिनांक.....बैंक का नाम.....शाखा का नाम.....

स्थान .....

दिनांक.....

**आवेदक के हस्ताक्षर**

पूरा नाम.....

### कार्यालय उपयोग हेतु

उपरोक्त आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी तथा संलग्न दस्तावेजों कि जाँच की गई/कर्मचारी (आवेदक) का पंजीयन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जावे।

**संपदा अधिकारी/संपदा प्रबंधक**  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल  
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-.....

## भवन आबंटन संबंधी नियम/शर्तों

1. भवन के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र सूचना केन्द्र छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल शंकर नगर, रायपुर/संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र ..... /कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग ..... से EWS हेतु रु. 200/- LIG 300/- तथा MIG हेतु रु. 800/- HIG हेतु रु. 1000/- नगद भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे ।
2. आवेदन पत्र के साथ भवन के मूल्य की 15 प्रतिशत पंजीयन राशि बैंकर्स चैक/डी.डी./RTGS के माध्यम से सूचना केन्द्र, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र ...../कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग ..... में जमा किये जावेंगे।
3. योजनांतर्गत उपलब्ध भवनों में से 50 प्रतिशत भवन शासकीय कर्मचारियों के लिये आरक्षित होंगे।
4. योजना प्रारंभ से 2 माह तक भवनों के मूल्य में 10 प्रतिशत छूट तथा 02 माह पश्चात् 05 प्रतिशत छूट दी जावेगी।
5. शासकीय कर्मचारी के रूप में योजनांतर्गत केन्द्र शासन/राज्य शासन/शासन के उपक्रम तथा निगम मण्डल के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे।
6. यदि शासकीय कर्मचारियों के आवेदनों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक होती है तो सामान्य वर्ग के अंश में से भवनों का आबंटन उन्हें किया जायेगा।
7. यदि शासकीय कर्मचारी पंजीयन की प्रारंभिक 15 प्रतिशत राशि स्वयं जमा करने में असमर्थ हो तो अपने भविष्य निधि से उनके अनुरोध पर अग्रिम या आंशिक विकर्षण स्वीकृत कर उनके विभाग द्वारा तदानुसार भविष्य निधि में से राशि मण्डल को हस्तांतरित की जायेगी तथा शेष 85 प्रतिशत राशि वित्तीय संस्थान/बैंक आदि से ऋण के रूप में मण्डल को उपलब्ध कराकर भवन का आबंटन/विक्रय किया जावेगा।
8. विक्रय किये गये भवन यदि मरम्मत योग्य हो तो मण्डल द्वारा मरम्मत कर आधिपत्य दिया जावेगा।
9. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की प्रस्तावित मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजनांतर्गत ई.डब्ल्यू. एस. तथा एल.आई.जी. भवन पर पात्र “कर्मचारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना” अंतर्गत ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा सकता है।
10. भवनों का आबंटन लॉटरी पद्धति से ना कर प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर आवेदकों कि स्वेच्छा अनुरूप किया जावेगा।
11. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रत्येक श्रेणी जैसे-ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी., एम.आई.जी., एच.आई.जी. भवनों के वित्तीय लेखाओं का संधारण प्रतिमाह मासिक लेखा में इन्द्राज किया जावेगा।
12. प्रत्येक आबंटी के नाम से खाता लेजर संधारित किया जावेगा, जिससे विक्रित भवन/ प्रकार/क्रमांक भवन की स्थिति जैसे बेटर लोकेशन, कार्नर तथा मूल्य आदि का विवरण दर्शाया जावेगा। यह विवरण मण्डल कि वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन भी उपलब्ध होगा।

13. LIG के लिए आवेदक कि वार्षिक आय सीमा रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख) एवं EWS के लिए वार्षिक आय सीमा रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख) (अधिकतम) पात्रता माप दण्ड है। LIG एवं EWS के हितग्राहियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।
14. पंजीयन राशि भवन के मूल्य में समायोजित की जावेगी । पंजीयन स्वीकृत होने बाद जमा राशि वापस चाहने पर मूल चालान/रसीद प्रस्तुत करने पर पंजीयन राशि का 10% (दस प्रतिशत) कटौती की जाकर शेष राशि लौटायी, जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा ।
15. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किश्तें निर्धारित समय पर जमा करना होगा, अन्यथा निर्धारित समय पर किश्त प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार विलंबित अवधि का ब्याज देय होगा ।
16. निर्मित भवनों के आबंटन आदेश जारी होने से 30 दिवस के अंदर शेष राशि जमा करनी होगी तथा निर्माणाधीन भवनों हेतु निर्धारित किश्तों राशि जमा करनी होगी।
17. पंजीयन पश्चात् तालिका में अंकित प्रथम अथवा द्वितीय किश्त जमा करने के पश्चात् शेष किश्तों की राशि को एकमुश्त जमा करने पर, जमा दिनांक से अंतिम किश्त की तिथि तक नियमानुसार ब्याज दिया जावेगा।
18. मण्डल द्वारा अनुमोदित अंतिम मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी से स्वीकृति पश्चात् आबंटी को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आबंटी को भवन के मूल्य पर आपत्ति हो तो मण्डल में जमा राशि नियमानुसार वापस प्राप्त कर सकेगा।
19. स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित भूखण्डों एवं भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय के नियमों के तहत किया जावेगा। रजिस्ट्री का व्यय संबंधित हितग्राही को वहन करना होगा एवं फ्री-होल्ड की कार्यवाही आबंटी स्वयं के व्यय से करेंगे। भवनों में निर्माण हेतु स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत संलग्न तालिका में जो राशि विभिन्न तिथियों पर भुगतान हेतु निर्धारित हैं, निर्धारित समय पर देना होगा। विलम्ब हेतु नियमानुसार ब्याज देय होगा।
20. जहां प्रकोष्ठ भवनों में भूतल पर कवर्ड पार्किंग का प्रावधान रखा गया है, उसका उपयोग संबंधित ब्लॉक के आबंटी सामूहिक रूप से बिना विवाद करेंगे।
21. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कॉलोनी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में समस्त हितग्राहियों, चाहें वे स्वतंत्र भवन या प्रकोष्ठ भवन के हितग्राही हो मिलकर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। प्रकोष्ठ भवनों कि सामूहिक व्यवस्थाओं के रख-रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 5% अतिरिक्त राशि ली जावेगी। पंजीकृत सोसायटी को रख-रखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि मण्डल के नियमानुसार प्रदान किया जावेगा। मण्डल द्वारा 18 माह के पश्चात् किसी भी स्थिति में कॉलोनी रख-रखाव का कार्य नहीं किया जायेगा।

22. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता फोन नं./मोबाईल नं.,ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी मण्डल की नहीं होगी।
23. उक्त योजनांतर्गत मण्डल द्वारा समय-समय पर लागू किए गए निमय एवं शर्तों को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा।
24. भवन पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में हितग्राही, यदि आधिपत्य नहीं प्राप्त करते हैं तो भवन में सुरक्षा हेतु मण्डल के नियमानुसार निर्धारित दर से सुरक्षा शुल्क देय होगा।
25. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किश्तें समय पर चुकाना होगा, किश्तें समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में मण्डल पंजीयन निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
26. किसी भी कारण से यदि आधिपत्य लेने में आबंटी कि ओर से देरी होती है तो कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी आबंटन निरस्त कर सकते हैं। आबंटी को यदि समयावधि प्रदान की जाती है तो सुरक्षा शुल्क का आबंटी द्वारा भुगतान करना अनिवार्य होगा।
27. आधिपत्य लेने के संबंध में यदि हितग्राही द्वारा आना-कानी किया जाता है अथवा भवन के स्थिति के संबंध में प्रोटेस्ट अथवा अभ्यावेदन देते हैं ऐसी स्थिति में यदि उनकी शिकायत अथवा प्रोटेस्ट या अभ्यावेदन सही पाया जाता है, तो मण्डल उसे 02 माह के भीतर भवन में आवश्यक सुधार/समाधान कर आधिपत्य देगा। यदि हितग्राही उस सुधार/समाधान से सहमत नहीं है तो आबंटन निरस्त कर उनकी जमा राशि 7.5% ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थांतरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा तथा आबंटी अन्य किसी प्रकार के मुआवजा आदि के आदि क लिए हकदार नहीं होंगे।
28. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था से भवन क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मण्डल द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण-पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जावेगा। किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदनुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
29. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्व-वित्तीय योजनांतर्गत किश्तें जमा करने के लिए हितग्राही द्वारा समयावधि बढ़ाई जाने की मांग की जाती है तो उक्त बढ़ाई गई अवधि के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज, हितग्राही को जमा करना होगा।
30. (अ) जिन योजनाओं में घोषित मूल्य से 10% से अधिक की मूल्य वृद्धि होती है, उन योजनाओं में पंजीकृत हितग्राही, यदि भवन लेने असहमति व्यक्त करते हैं, तो उनकी जमा राशि 7.5% ब्याज दर सहित वापस की जावेगी। इस प्रकार रिक्त हुए भवनों को पूर्ण मूल्य आधार पर ऑफर दर से नियमानुसार विक्रय की कार्यवाही की जावेगी।  
(ब) भवन के विज्ञापित अनुमानित मूल्य के अतिरिक्त अग्रिम लीजरेन्ट, भू-संधारण शुल्क, कामन सर्विस चार्जेस, बीमा शुल्क तथा राज्य शासन के अन्य प्रभार एवं नल कनेक्शन प्रभार नियमानुसार पृथक से आबंटन/आधिपत्य पूर्व जो कि भवन के मूल्य का लगभग 10% होगा, पृथक से देय होगा। स्थानीय निकाय, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा यदि कोई अन्य शुल्क प्रभारित किया जाता है तो वह भी पृथक से देय होंगे।

(स) हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन नगर निगम/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।

31. (अ) कोने पर स्थित भवन हेतु भू-खण्ड की कीमत का 10% तथा बेटर लोकेशन वाले भवन हेतु भूखण्ड की कीमत की 5% अतिरिक्त राशि पृथक देना होगा।  
(ब) आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा गठित समिति द्वारा योजना में शामिल समस्त प्रकार के भवनों में से कार्नर/बेटर लोकेशन पर स्थित भवनों एवं मॉडल हाऊस को ऑफर के माध्यम से विक्रय हेतु चिन्हांकित किया जावेगा तथा उक्त चिन्हित भवन सामान्य आबंटन प्रक्रिया से पृथक होंगे। सामान्य आबंटन की प्रक्रिया से पहले चिन्हित भवन सुरक्षित रखे जावेंगे।
32. पंजीयन एव किश्तों की निर्धारित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से अवकाश होने की दशा में देय राशि अगले कार्य दिवस को स्वीकार की जावेगी।
33. भवन के डिजाईन तथा स्पेसीफिकेशन मण्डल द्वारा ही तय किये जायेगें, बुकलेट में दर्शाये गए स्पेसिफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए मण्डल स्वतंत्र है। इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।
34. स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत आबंटित भूखण्ड पर मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु रु. 50/- के नान-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर भवन के आबंटन पश्चात् सहमति निर्धारित प्रारूप में आबंटनी को देना होगा।
35. अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के सूचना केन्द्र/संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र ...../ कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग ...  
..... कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती हैं एवं मण्डल के वेबसाईट **www.cghb.gov.in** में देखी जा सकता हैं।
36. भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
37. ऐसी योजना/योजनाएँ जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना/योजनाएँ ली जानी मण्डल हित में नहीं होगा, संपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि 7.5% ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थानांतरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा।
38. ऐसी योजना/योजनाएँ जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना/योजनाएँ ली जानी मण्डल हित में नहीं होगा, संपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि 7.5% ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थानांतरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा।

39. इस योजना को लेकर यदि कोई भूमि अथवा न्यायालीन विवाद होता है तो योजना में विलंब हो सकता है जिस हेतु पंजीयनकर्ताओं को पृथक से कोई ब्याज अथवा हानि अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा। ऐसे विवादों के कारण यदि आबंटन रद्द भी होता है तो पंजीयनकर्ताओं को किसी भी प्रकार से ब्याज/हानि/मुआवजा नहीं मिलेगी। इन शर्तों को पंजीयनकर्ताओं को मंजूर हैं, जानते हुए भवनों का आबंटन किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में पंजीयनकर्ता स्वतः पंजीयन रद्द/वापस करने हेतु जिम्मेदार होंगे। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
40. हितग्राही अपने आवास में कम से कम दो पौधे अवश्य लगायें साथ ही सड़क या आवास के आस-पास लगाए गए पौधों की सुरक्षा का ध्यान आवश्यक रूप से देंगे।
41. कि इस आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर मण्डल को अधिकार होगा कि आबंटन रद्द कर दें।
42. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, शंकर नगर, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
43. मण्डल में प्रचलित अन्य नियम भवन आधिपत्य के पश्चात् या पहले सभी हितग्राहियों को मान्य होंगे उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।
44. भवन का आधिपत्य 03 साल में अथवा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर दिया जायेगा।
45. भवन का पूर्ण मूल्य राशि संलग्न तालिकानुसार 04/05 किश्तों में हितग्राही को देनी होगी किन्तु भवन का आधिपत्य निर्माण कार्य प्रारंभ होने से 03 वर्ष पश्चात् दिया जावेगा
46. योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आबंटी को भवन का आधिपत्य देने के पूर्व तृतीय पक्ष निरीक्षण (Third Party Inspection) किया जावेगा, जिसमें एक पक्ष आबंटी, द्वितीय पक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता एवं तृतीय पक्ष मण्डल द्वारा आदेशित अन्य अधिकारी होंगे। यदि निरीक्षण में कोई कमियाँ पायी जाती है तो कार्यपालन अभियंता 15 दिवस में उसका निराकरण कर आबंटी को सूचित करेंगे। यदि इसके पश्चात् भी आबंटी संतुष्ट नहीं हो तो उस क्षेत्र के संबंधित उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को त्रुटियों/कमियों के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उपायुक्त द्वारा संबंधित कार्यपालन अभियंता को 15 दिवस की अवधि में इसका निराकरण करने हेतु निर्देशित किया जावेगा। तदनुसार निराकरण पश्चात् यदि आबंटी फिर भी संतुष्ट न होने पर अपनी संपूर्ण जमा राशि ब्याज सहित वापस प्राप्त कर सकता है।

**संपदा अधिकारी/संपदा प्रबंधक**  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल  
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र .....

## आवेदक द्वारा घोषणा

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक-01 से 46 तक सभी नियम/शर्तों मेरे द्वारा पढ़कर समझ ली है। मुझे समझा दी गई है तथा मुझे मान्य है। मैं उक्त नियम/शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ।

### कर्मचारी/आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

स्थान .....

दिनांक .....

## वचन-पत्र

मैं वचन देता हूँ कि मुझे भवन आबंटन होने की स्थिति में :-

1. मैं भवन का उपयोग केवल आवास हेतु करूंगा।
2. मैं मण्डल द्वारा निर्धारित किश्त एवं अन्य प्रभार जो समय-समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा।
3. मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा।
4. इस कॉलोनी में मेरे परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को भवन अथवा प्रकोष्ठ भवन का आबंटन नहीं किया गया है अथवा आबंटन हेतु परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है।
5. भवन का उपयोग किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक जैसे नर्सिंग होम, दुकान, स्कूल, गोदाम, हॉस्टल, रेस्टोरेन्ट, होटल इत्यादि के रूप में नहीं करेगा।
6. आवेदन पत्र के कंडिका 01 से 15 तक तथा नियम/शर्तों के बिन्दु क्रमांक 01 से 46 तक सभी प्रकार के मण्डल के नियमों का पालन करूंगा।

### कर्मचारी/आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

फोन नं. ....

मोबाईल नं. ....

नोट :-

1. जहां-जहां मण्डल का जिक्र किया गया है, उसका आशय संबंधित कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी से है।
2. परिवार का आशय पति/पत्नी एवं उनके आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता-पिता एवं भाई-बहिन।

कर्मचारी/आवेदक के हस्ताक्षर